न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देसूरी(पाली) राज.
लोक अदालत शिविर–घाणेराव

पीठासीन अधिकारी :– श्री राजेश मेवाडा (आर.ए.एस.)
राजस्व वाद संख्या :– 64 / 2006
दायर तिथि :– 05.07.2006
निर्णय दिनांक :– 11.05.2018

वादीगण :–

मृत हीरा के वारिसान :–
1. ओगडराम पुत्र स्व. हीराजी
2. नारायणराम पुत्र स्व. हीराजी
3. धनाराम पुत्र स्व. हीराजी
4. गिरधारीलाल पुत्र स्व. हीराजी
   जाति–मेघवाल निवासी– घाणेराव
   तहसील–देसूरी जिला–पाली, राजस्थान

ब ना म

प्रतिवादीगण :–

1. राज्य सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार देसूरी

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 188, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति :–

1. तहसीलदार देसूरी – प्रतिवादी।

–: निर्णय :– **दिनांक :–11.05.2018**

वादीगण ने यह वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण अन्तर्गत धारा 88, 89, 188, 92ए राजस्थाान काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि :–

वादग्रस्त भूमि मौजा घाणेराव तहसील देसूरी में स्थित हाल ख.न. 808, 776, गत ख.सं. 1787 रकबा 01.69 हे. भूमि विद्यमान है। जिसके पुराने खसरा नम्बर 703 रकबा 01.69 हे. है। इसी प्रकार ग्राम घाणेराव में खाता संख्या 748 में आराजी संख्या 701 रकबा 10 बीघा भूमि स्थित है। नये खसरा संख्या 1779 गत ख.सं. 701 से कायम हुये है। राजस्थान सरकार द्वारा आवंटन नियमों के अन्तर्गत वादीगण को वादग्रस्त आराजी पुराने खसरा संख्या 701 रकबा 10 बीघा, को दिनांक 28.04.1976 को श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय पाली द्वारा आवंटित की गई थी। उक्त आवंटन के पश्चात दिनांक 28.04.1976 को ही उक्त आवंटित भूमि को वादी के नाम ना.क. दर्ज किया जाकर आवंटित भूमि गैर खातेदारी हक से वादी क नाम दर्ज की गई। वक्त आवंटन से वादीगण काबिज है। नवीन बन्दोवस्त द्वारा वादग्रस्त भूमि गत खसरा नम्बर 701 के नये खसरा नम्बर 1779 का मिलान क्षेत्रफल गलत तैयार किया जबकि वादी वादग्रस्त भूमि ख.सं. 1779 पर काबिज है। अतः खातेदारी घोषणा का निवेदन किया।

उपखण्ड अधिकारी
देसूरी

पेज लगातार 2 पर...

प्रतिवादी तहसीलदार देसूरी ने वादपत्र का जवाब पेश कर निवेदन किया कि गत ख.स. 701 में 10 बीघा भूमि वादीगण के को आवंटित हुई थी। परन्तु वर्तमान खसरा संख्या 1779 गत ख.सं. 701 कायम नहीं हुये है। वादग्रस्त भूमि पर आवंटन तिथि से वादीगण का कब्जा नहीं रहा है। तथा वादग्रस्त भूमि ग्राम पंचायत घाणेराव के खाते में दर्ज है। अतः वाद खारिज किये जाने का निवेदन किया। प्रतिवादी ग्राम पंचायत घाणेराव ने भी अपना जबाव पेश कर वादग्रस्त भूमि ग्राम पंचायत घाणेराव के आधिपत्य स्वामित्व की भूमि होना वादी का कब्जा नहीं होना न ही वादी को आवंटित भूमि का कब्जा हस्तांतरण करना बताया। एवं वादी का वाद खारिज करने का निवेदन किया। हमने पत्रावली एव उपलब्ध राजस्व रेकार्ड का अवलोकन किया। राजस्व रेकार्ड का अवलोकन से यह स्पष्ट रूप से प्रमाणित है कि वादग्रस्त भूमि वर्तमान राजस्व रेकार्ड में ग्राम पंचायत घाणेराव के नाम बतौर गोचर चारागाह के रूप में विद्यमान है। गत खसरा संख्या 701 काफी बडा खसरा था। जिसमें वादी को आवंटित 10 बीघा भूमि का कब्जा किस स्थान पर सुपुर्द किया गया एवं गत नक्शे में दिये गये कब्जे के अनुरूप कहां पर तरमीम की गई कोई अभिलेख वादी की ओर से प्रस्तुत नहीं है। मिलान क्षेत्रफल के अवलोकन से हाल ख.सं. 1779 गत ख.सं. 701 से कायम किये गये है। गत व हाल नक्शा के अवलोकन से एवं तहसीलदार भूमिधारी के जवाब के अनुसार भी वादी के वादपत्र में अंकित तथ्यों की पुष्टि नहीं होती है। वादग्रस्त भूमि गोचर पंचायत के नाम दर्ज है व पंचायत के आधिपत्य की भूमि है। जिसमें खातेदारी अधिकार वादी को प्रदत नहीं किये जा सकते है। अतः वाद वादी खारिज किया जाता है। पत्रावली फैशल शुमार होकर संख्या से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 11.05.2018 को सुनाया गया।

(राजेश मेवाडा)
उपखण्ड अधिकारी
देसूरी

प्रपत्र 5

मूल वाद में मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, देसूरी

पीठासीन अधिकारी :– **श्री राजेश मेवाडा आर.ए.एस.**

वादीगण :–

मृत हीरा के वारिसान :–

1. ओगडराम पुत्र स्व. हीराजी
2. नारायणराम पुत्र स्व. हीराजी
3. धनाराम पुत्र स्व. हीराजी
4. गिरधारीलाल पुत्र स्व. हीराजी

जाति–मेघवाल निवासी– घाणेराव
तहसील–देसूरी जिला–पाली, राजस्थान

ब ना म

प्रतिवादीगण :–

1. राज्य सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार देसूरी

दावा बाबत 88, 89, 188, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955
मुकदमा नम्बर :– **64/2006**
निर्णय दिनांक :– **11.05.2018**

वादीगण की ओर से **वादी अनुपस्थित** व प्रतिवादी की ओर से **प्रतिवादी उपस्थित** में इस वाद में **शिविर – घाणेराव** आज तारीख **11.05.2018** को (नाम पीठासीन अधिकारी) **राजेश मेवाडा आर.ए.एस.** उपखण्ड अधिकारी, देसूरी के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि :–

वाद वादी खारिज किया जाता है। खर्चा पक्षकार अपना–अपना वहन करे। मिसल फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख **11** माह **मई** सन् **2018** को जारी किया गया।

मोहर

(राजेश मेवाडा)
उपखण्ड अधिकारी
देसूरी